

म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969

[नोटीफिकेशन क्र. 7314-53-X-(3)-69 दिनांक 1 नवम्बर 1969- म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 21 के अधीन शक्ति के प्रयोग में राज्य सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाये हैं :-

नियम

1 नियम 1. संक्षिप्त नाम- ये नियम (म. प्र. वन उपज (other than timbers इमारती लकड़ी के अन्यथा)- (व्यापार विनियमन) नियम, 1969 कहलायेंगे।

नियम 1-A. लागू होना- ये नियम इमारती लकड़ी को छोड़कर- समस्त वन उपज को लागू होंगे।

नियम 1-B. निर्देश का अर्थान्वयन - इन नियमों में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये किया गया कोई निर्देश (reference) इमारती लकड़ी के रिफरैन्स को शामिल नहीं करेगा।

नियम 2. परिभाषायें - इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,-

A-(क) अधिनियम - से अभिप्रेत - म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (9/1969) से है;

B-(ख) डिवीजनल फारेस्ट आफीसर (खण्डीय वन अधिकारी) - से अभिप्रेत उस वन अधिकारी से है जो क्षेत्रीय वन खण्ड (Territorial Forest Division) का प्रभारी हो;

C- (ग) "प्ररूप" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्ररूप से है;

D-(घ) "केता" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पक्ष से है, जिसे ऐसी रीति में, जिसका कि राज्य सरकार धारा 12 के अधीन निर्देश दे, विनिर्दिष्ट वन उपज बेच दी गई हो या उसका अन्यथा निवर्तन कर दिया गया हो;

E- (ङ) "धारा" से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

F- (व) "परिवहन अनुज्ञा पत्र" से तात्पर्य विनिर्दिष्ट वन-उपज का परिवहन करने के लिये धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र से है।

नियम 3. अभिकर्ता की नियुक्ति- (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन इकाई या इकाईयों के लिये तथा समस्त या किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के हेतु अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने के लिये राज्य सरकार, अभिकरण (Agency) के निबन्धन तथा शर्तें देते हुए और ऐसी नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुये, मध्यप्रदेश राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति में, जिसे कि वह उचित समझे एक सूचना प्रकाशित करेगी।

(2) अभिकरण के लिये आवेदन 'प्ररूप क' में होगा जो कि सम्बन्धित खण्डीय वन आफीसर के कार्यालय से या किसी अन्य खण्डीय वन आफीसर से प्रत्येक प्ररूप के लिये एक रूपये का संदाय करने पर प्राप्त किया जा सकेगा।

1. नोटीफिकेशन क्र. 18-7-73-3 (1) दि. 23-10-1978 (म.प्र. राजपत्र पार्ट IV (Ga) दि. 17-11-1978 पृ. 313) द्वारा प्रतिस्थापित (नियम 1) किया गया।

(3) अभिकरण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के लिये न लौटाने योग्य दस रुपये फीस चुकाई जायेगी रकम वन विभाग द्वारा धनराशि स्वीकार करने के लिये विहित नियमों के अनुसार उस खण्ड के खाते में देय होगी, जिसमें कि इकाई स्थित हो। प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज की इकाई के लिये पृथक्-पृथक् आवेदन अपेक्षित होगा।

(4) (एक) अभिकरण के लिये आवेदन-पत्र विहित आवेदन फीस सहित, सभी दृष्टियों से पूर्ण किया जाकर ऐसे प्राधिकारी को ऐसी तारीख तक, ऐसी रीति में, जो कि पूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, प्रस्तुत किया जायेगा।

(दो) किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से आवेदन करने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जावेगी जब तक कि वह आवेदन पत्र के साथ उस मुख्यालानमें की, जो ऐसे व्यक्ति या फर्म द्वारा निष्पादित किया गया हो, या उसे उस व्यक्ति या फर्म की ओर से कार्य करने हेतु सशक्त करता हो, या उस फर्म के जिसका कि भागीदार होने का दावा करता हो, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न न कर दे तथा खंडीय वन आफिसर के समक्ष मूलतः प्रस्तुत न कर दे।

(तीन) ग्राम पंचायत या सहकारी सोसायटी इस सम्बन्ध में पारित संकल्प की सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगी :

परन्तु संकल्प की ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि मध्यप्रदेश स्टेट ट्रायबल को-आपरेटिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन की दशा में अपेक्षित नहीं होगी।

(5) (एक) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ कोषागार का चालान संलग्न होगा जो यह दर्शावेगा कि आवेदक द्वारा राजस्व निक्षेप के अधीन पाँच सौ रुपये का नगद निक्षेप अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) के रूप में सम्बन्धित वन आफिसर के नाम किया है। राजस्व निक्षेप करने के लिये चालान किसी भी वन आफिसर से प्राप्त किया जा सके।

(दो) ऊपर वर्णित अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप के अतिरिक्त आवेदक उपनियम (1) के अधीन जारी की गई पूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट की गई रकम की सीमा तक व्यक्तिगत शोध क्षमता का प्रमाण-पत्र या ऐसा प्रमाण-पत्र धारण करने वाला स्वतंत्र प्रतिभूति का प्रतिभूति बन्धपत्र (Security Bond) प्रस्तुत करेगा और संलग्न करेगा :

परन्तु राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या सहकारी सोसायटी या मध्यप्रदेश स्टेट ट्रायबल को-आपरेटिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन को इस खण्ड के उपबन्धों से छूट दे सकेगी।

(तीन) आवेदक, आवेदन पत्र को तब तक प्रत्याहत (Withdraw) नहीं करेगा, जब तक कि आवेदन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश पारित न कर दिये गये हों या कोई अन्य व्यक्ति, ग्राम पंचायत, या सहकारी सोसायटी या मध्यप्रदेश स्टेट ट्रायबल को-आपरेटिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन को उस इकाई के लिये अभिकर्ता के रूप में नियुक्त न कर दिया गया हो। इस उपबन्ध का भंग करने पर खण्ड (एक) के अधीन जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप समपहत (Forfeited) हो जायेगा।

(6) राज्य सरकार किसी भी आवेदन पत्र को, इस सम्बन्ध में कोई भी कारण बताये बिना स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप, उन आवेदकों को लौटा दिया जायेगा जिनके आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये हों। अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये गये आवेदक को अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप उपनियम (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उप नियम (9) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप के प्रति समायोजित किया जावेगा।

(7) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना समीचीन तथा आवश्यक है वहां वह उसके लिये लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी भी व्यक्ति, सहकारी सोसायटी, या ग्राम पंचायत, मध्यप्रदेश स्टेट ट्रायबल को-आपरेटिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन को प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज की एक या अधिक इकाइयों के लिये अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(8) (एक) अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने पर, इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति या ग्राम पंचायत या सहकारी सोसायटी, जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश ट्रायबल को-ऑपरेटिव डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन आता है, नियुक्त का आदेश जारी किये जाने से पन्द्रह दिन के भीतर 'प्ररूप ख' में एक करार निष्पादित करेगा, जिसे निष्पादित न करने की दशा में नियुक्त रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगी और इस प्रकार से (नियुक्त के) रद्द हो जाने पर-

A-(क) अप्रिय प्रतिभूति निक्षेप समपहत (Forfeit) किया जायेगा, और

B-(ख) अभिकर्ता नियुक्त रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा उठाई गई हानि की, यदि कोई हो, पूर्ति करने का दायी होगा जिसकी संगणना निम्नानुसार की जावेगी :-

(A) सरकार को हानि ।

(B) इकाई के लिये अधिसूचना विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा तथा संग्रहीत तथा परिदृष्ट की गई वन उपज की मात्रा का अन्तर ।

(R) मात्रा की प्रति इकाई दर वह रकम होगी जो उस दर में से, जिस पर कि सरकार विनिर्दिष्ट वन-उपज बेचती है, क्रेता को विनिर्दिष्ट वन-उपज का परिदान किये जाने पर सरकार द्वारा मात्रा की प्रति इकाई पर किये गये व्ययों के घटाने से शेष रहे ।

हानि (A) = B x R i.e.

अर्थात् - हानि उस रकम के बराबर होगी जो इकाई के लिए अधिसूचित की गई मात्रा से कम संग्रहीत तथा परिदृष्ट की गई मात्रा को, ऐसे अंक से गुणा करने से प्राप्त हो जो अंक वन-उपज के विक्रय दर, तथा शासन द्वारा ऐसी वन-उपज के क्रेता को परिदृष्ट किये जाने के समय तक, मात्रा की प्रति इकाई पर किये गये समस्त व्यय के अन्तर के बराबर हो ।

उदाहरण- वनोपज हरी इकाई के लिये अधिसूचित मात्रा 500 किंवटल, संग्रहीत तथा क्रेता को प्रदत्त मात्रा 450 किंवटल ।

क्रेता द्वारा प्रति किंवटल विक्रय दर 100 किंवटल ।

क्रेता को परिदान होने तक का व्यय 25/- प्रति किंवटल ।

शासन को हानि - $50 \times 75 = 3750/-$ रुपये ।

C-(ग) यह हानि भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी ।

(9) (एक) किसी विशिष्ट इकाई के इस प्रकार नियुक्त किया गया अभिकर्ता, करार (Agreement) पर हस्ताक्षर करने के पूर्व करार के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार एवं अधिनियम तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार अभिकरण (Agency) के उचित निष्पादन तथा सम्पादन के लिये प्रतिभूति के रूप में ऐसी निम्नतम राशि जमा करेगा, जो अभिकरण (एजेन्सी नोटिस) सूचना में विनिर्दिष्ट की जायेगी । प्रतिभूति की उपरोक्त रकम जमा करने में अभिकर्ता के असमर्थ रहने के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जा सकेगा कि उसके द्वारा प्रतिभूति के रूप में इस प्रकार जमा कराई रकम, इन नियमों तथा करार के प्रयोजनों के लिए, उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए होगी मानो ऐसी रकम स्वयं अभिकर्ता (एजेन्ट) द्वारा ही जमा की गई है ।

(दो) यह प्रतिभूति निक्षेप या तो नगदी में या ऐसे वचन पत्रों (Promissory notes) के रूप में जिसका कि इस प्रयोजन के लिये मूल्यांकन बाजार मूल्य से 5 प्रतिशत कम कर दिया जायेगा या मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. 2171-545/चार/आर. बी/तारीख 9 सितम्बर, 1962 के अनुसार शिड्यूल बैंकों की गारण्टी या हेड पोस्ट मास्टर की मंजूरी से सम्बन्धित खण्डीय वन आफिसर को अन्तरित किये गये अर्थ्यर्पण मूल्य पर (at surrender value) डाकखाने के कैश सर्टीफिकेट, नेशनल सेविंग्ज सर्टीफिकेट, दस वर्षीय ट्रेजरी सेविंग्ज डिपाजिट सर्टीफिकेट, बारह वर्षीय नेशनल डिफेन्स सर्टीफिकेट के रूप में सम्बन्धित खण्डीय वन आफिसर (D.F.O.) के नाम में राजस्व निक्षेप (Revenue deposit) की शक्ति में होगा ।

(तीन) यह प्रतिभूति निक्षेप (Security deposit) यथास्थिति या तो पूर्णतः या अंशतः खण्डीय वन आफिसर (D.F.O.) द्वारा विनिर्दिष्ट वन उपज के कम संग्रह के लिये शास्ति, प्रतिकर, नुकसान और किन्हीं भी अन्य शोध्यों की जो कि करार इन नियमों तथा अधिनियमों के उपबन्ध के अधीन वसूली योग्य हों, वसूली यदि कोई हो, के प्रति समायोजित किया जायेगा और यदि खंडीय वन आफिसर द्वारा लिखित में आदेश दिया जाय, तो अभिकर्ता द्वारा ऐसी समस्त कटौतियों की पूर्ति उस आशय की सूचना प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर उतनी ही रकम जमा करके की जायेगी।

(चार) यदि वसूल किये जाने वाले शोध्य प्रतिभूति निक्षेप की रकम से अधिक होने वाली रकम जब तक कि उसकी पूर्ति खण्डीय वन आफिसर की उस आशय की सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर न की जाय, भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

(पाँच) यथास्थिति, प्रतिभूति निक्षेप या शेष रकम खंडीय वन आफिसर का यह समाधान हो जाने पर कि अभिकर्ता की ओर से करार के निबन्धनों तथा नियमों तथा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समस्त आधारों तथा औपचारिकताओं का सम्यक् रूप से पालन किया जा चुका है और यह भी कि उसके ऊपर कोई बकाया नहीं है, अभिकर्ता को या ऐसे व्यक्ति को जिसने कि अभिकर्ता की ओर से उसका निक्षेप किया है, लौटा दी जायेगी।

(छ) ऊपर वर्णित प्रतिभूति निक्षेप के अतिरिक्त अभिकर्ता व्यक्तिगत शोध्य क्षमता का प्रमाण-पत्र या ऐसा प्रमाण-पत्र धारण करने वाले स्वतंत्र प्रतिभूति बन्धनामा, उस सीमा तक, जो कि अभिकरण सूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, प्रस्तुत करेगा।

(10) (एक) खंडीय वन आफिसर (D.F.O.) द्वारा जब तक कि अन्यथा निर्देशित न किया जाय, अभिकर्ता विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय धारा (2) के खण्ड (च) के उपखण्ड (दे) की मद (ख) तथा (ग) में वर्णित व्यक्तियों से करेगा और वह सरकारी भूमि से विनिर्दिष्ट वन उपज का संग्रह उसके द्वारा खोले गये या खंडीय वन आफिसर के आदेश से खोले जाने वाले डिपोज पर, अधिनियम, करार तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार करेगा। खण्डीय वन आफिसर समय-समय पर उसे इस सम्बन्ध में ऐसे समुचित निर्देश दे सकेगा जो अधिनियम, नियमों तथा करार के उपबन्धों से असंगत न हो।

(दो) अभिकर्ता (Agent) विनिर्दिष्ट वन उपज की ऐसी क्वालिटी का संग्रह करेगा जो कि उपयोग या विनिर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग या व्यापार के लिये उचित हों और जो अभिकरण सूचना में वर्णित हो। उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त अभिकर्ता यदि ऐसा अपेक्षित किया जाय, तो इस विषय पर दिये गये अनुदेशों के अनुसार इकाई के भीतर ऐसा अन्य कार्य भी करेगा, जो कि विनिर्दिष्ट वन उपज के व्यापार के लिये आवश्यक तथा उससे सम्बद्ध हो।

(11) अभिकर्ता क्रय की गई तथा संग्रहीत विनिर्दिष्ट वन उपज की सुरक्षित अभिरक्षा (Safe custody) तथा भंडारकरण (Storage) के लिये उत्तरदायी होगा। उसकी क्वालिटी को उस समय तक, जब तक कि उसकी अभिरक्षा का सम्पूर्ण स्टाक ऐसे आफिसर या व्यक्ति को, जो कि निर्देशित किया जावे, तथा ऐसी रीति में, जो कि करार में विहित की गई है, परिदृत न कर दिया जावे किसी भी क्षय (हास) (deterioration) को रोकने के लिये समस्त आवश्यक पूर्वावधानियाँ (Precautions) बरतेगा। अभिकर्ता अपनी रक्षा के दौरान मात्रा की किसी कमी या क्वालिटी के क्षय के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और राज्य सरकार द्वारा इस कारण उठाई गई और उसके द्वारा निर्धारित की गई किसी भी हानि की पूर्ति अभिकर्ता द्वारा की जायेगी।

(12) अभिकर्ता राज्य शासन को छोड़कर, अन्य वन उपज उगाने वाले से विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय, उन दरों पर, नगद भुगतान करके करेगा जो कि ऐसे क्रय के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो और उन मजदूरों को, जिन्होंने सरकारी वर्षों और भूमियों से विनिर्दिष्ट वन उपज संग्रहीत की हो, वन उपज की प्राप्ति पर संग्रहण प्रभार के रूप में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित दरों से नगदी या वस्तु-विनिमय के माध्यम से किसी वस्तु के रूप में जैसा कि मजदूरों द्वारा चाहा जाय, तत्क्षण भुगतान करेगा।

(13) अभिकर्ता ऐसा लेखा रखेगा, तथा ऐसी नियतकालिक विवरणियाँ, जो कि खंडीय वन आफिसर या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य आफिसर को प्रस्तुत करेगा।

(14) पूर्ववर्ती उपबन्धों की किसी भी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह अभिकर्ता को उस इकाई में, जिसके कि लिये वह अभिकर्ता नियुक्त किया गया है, विनिर्दिष्ट वनोपज के क्रय तथा संग्रह का अनन्य अधिकार (Exclusive Right) प्रदान करती है, और राज्य सरकार को उस इकाई में या तो स्वयं या उसके द्वारा उस सम्बन्ध में लिखित प्राधिकृत आफिसर द्वारा विनिर्दिष्ट वनोपज के क्रय तथा संग्रह का अधिकार होगा और उस सीमा तक अभिकर्ता का दायित्व कम कर दिया जावेगा।

(15) अभिकर्ता, उसके द्वारा, इकाई के भीतर नियोजित किये गये व्यक्तियों की सूची, जैसे ही और जब भी नियोजित किया जाय, तुरन्त देगा और समस्त ऐसे व्यक्ति, जिसके बारे में खंडीय वन आफिसर द्वारा आपत्ति की जाय, अभिकर्ता द्वारा नियोजन से तुरन्त हटा दिये जावेंगे।

(16) अभिकर्ता, उसके द्वारा नियोजित समस्त मजदूरों तथा अन्य व्यक्तियों को खंडीय वन आफिसर द्वारा अनुमोदित, एक पहचान-पत्र (Identity Card) या अन्य साधन, जिसे सरलता से पहचाना जा सके, देगा।

नियम 4. विनिर्दिष्ट वन उपज के वास्तविक उपयोग या उपभोग या निस्तार के लिये परिवहन-
(1) कोई भी व्यक्ति व्यक्तिशः (Individually) धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज का ऐसे उपज का क्रय स्थान से ऐसे स्थान को जहाँ कि ऐसी उपज उसके (व्यक्ति के) वास्तविक उपयोग या उपभोग के लिये अपेक्षित हो, एक बार में निम्नलिखित मात्रा में परिवहन कर सकेगा, अर्थात् :

विनिर्दिष्ट वन उपज	मात्रा
(1)	(2)
(एक) कुल्लू गोंद	एक सौ ग्राम
(दो) धावड़ा गौंद, खैर गौंद, बबूल गौंद, सालई, रेजिन (Resin)	एक किलो ग्राम
(तीन) महुआ के फूल	नगर निगम या नगरपालिका की सीमाओं के भीतर परिवहन हेतु पाँच किलो ग्राम
(चार) महुआ बीज	नगरपालिका या नगर निगम की सीमाओं के बाहर परिवहन हेतु पचहत्तर किलो ग्राम
(पाँच) हर्रा	पचास किलोग्राम
(छः) कचरिया	पाँच किलोग्राम
(सात) साल के बीज	एक किलोग्राम
	2पाँच किलोग्राम

(2) किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में किसी वन में निस्तार का अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति, धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन ऐसी उपज का अपने घरेलू उपयोग का उपभोग के लिये उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट मात्रा तक परिवहन कर सकेगा।

नियम 5. परिवहन अनुज्ञा-पत्र- (1) धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख) तथा (घ) के 1. म.प्र. वन विभाग अधिक्र. 1458-2088-10-3-71 दि. 30-12-71 राजपत्र, पृष्ठ 1912 पर प्रकाशित के अनुसार पाँच से पचास किंवा संशोधित ।
2. म.प्र. वन विभाग अधिक्र. 31-1-75-111-1/दस दि. 31-5-1975 द्वारा संशोधित । (म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 31-5-1975 पृष्ठ 1459)

उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट वन उपज का परिवहन निम्नलिखित प्रकार के अनुज्ञा-पत्रों द्वारा विनियमित होगा और जो उसमें से प्रत्येक के सामने वर्णित प्राधिकारियों द्वारा जारी किये जावेंगे।

परिवहन के प्रकार

अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला अधिकारी

(1)

(2)

- (एक) संग्रह डिपो से भंडार गोदाम तक डिवीजनल फरेस्ट आफिसर या उसके द्वारा लिखित में परिवहन हेतु (पी/1) आफिसर प्राधिकृत कोई आफिसर या व्यक्ति।
या व्यक्ति।
- *(दो) राज्य के बाहर परिवहन हेतु पी/2 डिवीजनल फरेस्ट आफिसर या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी
- (तीन) मद (एक) या (दो) में वर्णित के खंडीय वन आफिसर या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अतिरिक्त और राज्य के भीतर आफिसर और/या अनुज्ञाप विक्रेता विनिर्दिष्ट की गई मात्रा परिवहन हेतु (पी/3) तथा कालावधि तक

परन्तु खंडीय वन आफिसर (D.F.O.) यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसके द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी किये जाने के लिये प्राधिकृत आफिसर अथवा व्यक्ति उपयुक्त नहीं है, तो वह ऐसा प्राधिकरण तुरन्त रद्द कर देगा।

(2) पूर्वोक्त प्रकारों में किसी भी प्रकार का परिवहन अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए आवेदन प्ररूप ग में होगा, और यथास्थिति, खंडीय वन आफिसर या प्राधिकृत आफिसर या व्यक्ति को प्रस्तुत किया जायेगा :

परन्तु खंडीय वन आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई आफिसर, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है, कि विनिर्दिष्ट वन उपज, जिसके कि सम्बन्ध में आवेदन दिया गया है, अवैध रूप से प्राप्त की गई है या अनुचित रूप से संप्रहीत की गई है तो आवेदक को सुनवाई का ऐसा अवसर देने के पश्चात्, जैसा कि वह परिस्थिति में उचित समझे, लिखित में आदेश द्वारा ऐसे आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर सकता।

(3) समस्त प्रकार के अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होंगे-

- (क) विनिर्दिष्ट वनोपज के प्रत्येक प्रेषण (Consignment) किसी भी परिवहन साधन द्वारा ले जाते समय सम्बन्धित प्रकार का परिवहन अनुज्ञा-पत्र उसके साथ होगे :
- (ख) विनिर्दिष्ट वन उपज का परिवहन केवल उस मार्ग द्वारा ही किया जायेगा जो कि अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट हो और जाँच पड़ताल के लिये उन्हें ऐसे स्थान या स्थानों पर पेश किया जायेगा जो कि उसमें विनिर्दिष्ट किया/किए जायें।
- (ग) खंडीय वन आफिसर या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये आफिसर की लिखित अनुज्ञा के बिना, सूर्यास्त के पश्चात् या सूर्यास्त के पूर्व किसी भी समय विनिर्दिष्ट वन उपज का परिवहन नहीं किया जायेगा।
- (घ) अनुज्ञा-पत्र ऐसी कालावधि के लिए विधिमान्य होगा जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाये।
- (ङ) परिवहन अनुज्ञा-पत्र ऐसी अनुज्ञा जारी करने वाले या उससे उच्च श्रेणी के आफिसर द्वारा रद्द किये जाने योग्य होगा, यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसका दुरुपयोग किया गया है, या किये जाने की सम्भावना है।
- (च) समस्त परिवहन अनुज्ञा-पत्र, विनिर्दिष्ट वन उपज के परिवहन करने के पश्चात् या उसमें दी गई कालावधि का अवसान होने के पश्चात्, जो भी पूर्ववर्ती हो, पन्द्रह दिन के समीपस्थ वन क्षेत्रपाल (Forest Ranger) के पद के या उससे उच्च पद के वन आफिसर को, अभिस्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् वापस कर दिये जावेंगे।

* नोटीफिकेशन नं. F-18-1-96-X-3 दि. 22 मार्च 1997 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 26-3-97 पृ. 250 द्वारा नियम 5(1)(ii) संशोधित।

नियम 6. विनिर्दिष्ट वन उपज के उगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण- (1) राज्य सरकार को छोड़कर विनिर्दिष्ट वन उपज का प्रत्येक उगाने वाला, यदि उसके द्वारा उगाई गई विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा नीचे विनिर्दिष्ट की गई मात्रा से बढ़ने की सम्भावना हो तो स्वयं को धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकृत करायेगा-

विनिर्दिष्ट वन उपज	मात्रा
1. सालाई रेजिन (Salai Resin) या चीड़ गोंद, कुल्लू गोंद, धावड़ा गोंद, खेर गोंद, बबूल गोंद,	एक किलोग्राम
2. महुआ फूल	दो किंवटल
3. महुआ बीज	एक किंवटल
4. हर्रा	दो किंवटल
5. कचरी	पचास किलोग्राम आधा किंवटल
16. साल बीज	पचास किलोग्राम आधा किंवटल

(2) विनिर्दिष्ट वन उपज के उगाने वाले के रूप में रजिस्ट्रीकरण का आवेदन प्ररूप घर में होगा और रेन्ज आफिसर के, जिसकी अधिकरिता के भीतर उगाने वाले की भूमि, जिस पर कि विनिर्दिष्ट वन उपज के पौधे उगते हों, स्थित है, समक्ष भरा जायेगा। रेन्ज आफिसर सम्यक् सत्यापन के पश्चात् आवेदन पत्र को तीस दिन के भीतर उप खण्डीय वन आफिसर या वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में पदस्थ संलग्न अधिकारी के समक्ष, जिसे वन मण्डलाधिकारी ने इस विषय में प्राधिकृत किया हो, को अग्रेषित करेगा जो ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, प्ररूप 'ड' में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र मन्जूर कर सकेगा या आवेदन-पत्र को उसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात् नामंजूर कर सकेगा।

(3) एक बार जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र उस समय तक विधिमान्य रहेगा जब तक कि वह उप-खंडीय वन आफिसर या वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में पदस्थ संलग्न अधिकारी, जिसको वन मण्डलाधिकारी ने इस विषय में प्राधिकृत किया हो, के द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से रद्द या उपान्तरित (modified) न किया जाय या उस समय तक विधिमान्य रहेगा, जब तक कि आवेदक उस भूमि को, जिसके सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया गया है, दखल में रखता है, इनमें से जो पूर्वतर हो।

(4) यदि प्रमाण-पत्र गुम हो जाय या विकृत हो जाय उसकी (प्रमाण-पत्र की) प्रमाणित प्रतिलिपि एक रुपया चुकाने पर उप-खंडीय आफिसर, या वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में पदस्थ संलग्न अधिकारी, जिसे वन मण्डलाधिकारी द्वारा इस विषय में प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त की जा सकेगी।

(5) विनिर्दिष्ट वन उपज का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उगाने वाला प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को सम्बन्धित रेन्ज आफिसर से प्ररूप घर में एक लेखा पर्ची प्राप्त करेगा और उक्त लेखा पर्ची विनिर्दिष्ट वन उपज को बिक्री के लिये प्रस्तुत करते समय डिपो में पेश की जायेगी और उगाने वाले की, ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज क्रय करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, उसके द्वारा क्रय की गई विनिर्दिष्ट उपज की मात्रा की प्रविष्टि उक्त पर्ची में करेगा।

(6) विनिर्दिष्ट वन उपज का ऐसा प्रत्येक उगाने वाला जो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र धारण करता हो, उसके रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान, उसके निर्वर्तन की कुल मात्रा का लेखा, ऐसा प्रमाण-पत्र मन्जूर करने वाले आफिसर द्वारा विहित रूप में उसमें दर्शाई जाने वाली तारीख को प्रस्तुत करेगा। विहित तारीख तक उपरोक्त लेखा प्रेषित न किये जाने की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगा।

नियम 7. अस्वीकृत विनिर्दिष्ट वन उपज के बारे में जाँच की प्रक्रिया- (1) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर जाँच करने वाला आफिसर, यथा-सम्बन्ध शीघ्र सम्बन्धित पक्ष या

पक्षों को जाँच करने के लिये नियत किया गया स्थान, तारीख तथा समय प्रज्ञापित (Intimate) करेगा।

(2) नियत तारीख पर, या किसी पश्चात्वर्ती तारीख (Subsequent date) पर जिसके लिये जाँच स्थगित की जावे, ऐसा आफिसर इन पक्षों या उनके सम्यक रूप से प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधियों की, जो कि उसके समक्ष उपस्थित हों सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, धारा 9 की उपधारा (3) या (4) के अनुसार पारित करेगा, जैसे कि वह उचित समझे।

(3) यदि पक्षकार या पक्षकारगण, जैसी भी स्थिति हो, या तो स्वयं, या अपने सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के मार्फत उपस्थित न हों, जो जाँच आफिसर, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह आवश्यक समझे एक पक्षीय (ex parte) निर्णय करेगा :

परन्तु यदि जाँच आफिसर का समाधान हो जाय कि पक्षकार या पक्षकारगण के उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था, तो वह ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, एक पक्षीय आदेश को निष्पावावी करते हुए, यथोचित आदेश पारित कर सकेगा।

(4) कोई भी प्रतिकर, जिसके कि चुकाये जाने का आदेश जाँच के परिणामस्वरूप दिया गया हो, या कोई भी संग्रहण सम्बन्धी प्रभार, जिसके चुकाये जाने के लिये धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन आदेश दिया गया हो, सम्बन्धित पक्ष को संसूचित किया जाने से एक मास के भीतर चुकाया जायेगा।

नियम 8. विनिर्दिष्ट वन उपज के विनिर्माताओं, व्यापारियों, उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण- (1) प्रत्येक विनिर्माता जो विनिर्दिष्ट वन उपज का कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है तथा प्रत्येक व्यापारी या उपभोक्ता जिसका यथास्थिति वार्षिक उपयोग, आवश्यकता या उपभोग नीचे दी गई अनुसूची में दी गई मात्रा से अधिक हो, विनिर्दिष्ट वन उपज के अपने स्टाक की घोषणा प्रूफ (छ) में करेगा और नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई वार्षिक रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करने के पश्चात् इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में, प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये, स्वयं पृथक रूप से रजिस्ट्रीकृत करावेगा।

वार्षिक रजिस्ट्रेशन फीस की तथा उस मात्रा की जिससे अधिक के लिये रजिस्ट्रीकरण आवश्यक होगा

विनिर्दिष्ट वनोपज का नाम	वार्षिक रजिस्ट्रीकरण		व्यापारी तथा उपभोक्ता के लिये	
	विनिर्माता व्यापारी	उपभोक्ता	मात्रा	
			व्यापारी	उपभोक्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कुल्लू का गोंद	100/- रुपये	5/- रुपये	1 कि. ग्रा.	1 कि. ग्रा.
2. धावड़ा गोंद	50/- "	5/- "	1 "	5 "
3. सालैइ रेजिन चिङ्गोंद	50/- "	5/- "	1 "	5 "
4. खैर, बबूल का गोंद	20/- "	5/- "	1 "	5 "
5. महुआ फूल	100/-	5/- "	1 "	20 किंवटल
6. महुआ बीज	100/-	15/- "	1 "	15 कि. ग्रा.
7. हर्दा तथा कचरिया	50/-	5/- रुपये	1 कि. ग्रा.	कि. ग्रा.
*8. साल बीज	100/-	[5/-]"	1 "	[5] कि. ग्रा.

(2) धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रूफ ज में होगा और उस खंडीय वन आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट वन उपज का विनिर्माता, व्यापारी या

* मध्यप्रदेश वन विभाग अधि. क्र. 1458/2088/x/3-71 दिनांक 30-12-71 (पृ. 1912) द्वारा आइटम (8) में रु. 5 तथा 5 कि.ग्राम विलुप्त किये गये तथा म.प्र. वन विभाग अधि. क्र. 31-1-75-III-I-X दिनांक 31-5-75 राजपत्र असाधारण दि. 31-5-75 = (पृ. 1459) द्वारा आइटम (8) में [रुपये पाँच तथा पाँच कि.ग्रा. अन्तःस्थापित किये गये।

उपभोक्ता निवास करता हो, या उसके कारबार का मुख्य स्थान स्थित हो। यदि विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता मध्यप्रदेश राज्य के बाहर निवास करता हो, तो वह अपना आवेदन पत्र मध्यप्रदेश के किसी भी खंडीय वन आफिसर को प्रस्तुत कर सकेगा। वार्षिक रजिस्ट्रीकरण की फीस अधिग्राम में जमा की जावेगी और इस साक्ष्य की रकम जमा कर दी गई है, प्रतिलिपि रजिस्ट्रीकरण के आवेदन-पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। खंडीय वन आफिसर या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किया कोई आफिसर, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, प्ररूप 'झ' में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकेगा या आवेदन-पत्र को, उसके लिये कारण अभिलिखित करने के पश्चात् अस्वीकृत कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण उस कैलेन्डर वर्ष के लिये विधिमान्य होगा जिसके कि लिये रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(4) विनिर्दिष्ट वन उपज का प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता, व्यापारी तथा उपभोक्ता, विनिर्दिष्ट वन उपज (Specified forest produce) के लेखाओं का रजिस्टर रखेगा और इन लेखाओं की विवरणी (returns) वह डिवीजनल फारेस्ट आफीसर को ऐसे प्ररूप में समय समय पर प्रस्तुत करेगा जो कि आफीसर द्वारा विहित किये जायें।

(5) यदि प्रमाण-पत्र गुम हो जाय या विकृत हो जाय तो उस प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि खंडीय वन आफिसर को प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिये रुपये पाँच चुकाने पर प्राप्त की जा सकेगी।

(6) ऐसी विनिर्दिष्ट वन उपज के ऐसे निर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, जिसने कि अधिनियम, इन नियमों या राज्य के साथ किये गये करार की शर्तों को भंग किया हो, जिसके परिणामस्वरूप या तो उसे अधिनियम की धारा 16 के अधीन दण्डित किया गया हो, या उसका करार पर्यवर्तित (Terminated) कर दिया गया हो, खंडीय वन आफिसर द्वारा रद्द (Cancelled) किये जाने के दायित्वाधीन होगा और, यथास्थिति, ऐसे विनिर्माता व्यापारी या उपभोक्ता का, ऐसी और कालावधि के लिये, जो कि तीन वर्ष तक हो सकती है, रजिस्ट्रीकरण अस्वीकृत किया जा सकेगा :

परन्तु यदि सम्बन्धित विनिर्दिष्ट वन उपज का विनिर्माता, व्यापारी या उपभोक्ता उपरोक्त आदेश से व्यवृत्ति हो, तो वह आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर क्षेत्रीय वन संरक्षक को अपील कर सकेगा :

परन्तु, यह और भी, कि क्षेत्रीय वन संरक्षक, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से पूर्ववर्ती परन्तुक की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

नियम 9. विक्रय प्रमाण-पत्र - राज्य सरकार, या उसका आफिसर या अधिकर्ता जो क्रेता को विनिर्दिष्ट वन उपज का विक्रय या परिदान करता है, उसे प्ररूप "ज" में विक्रय प्रमाण-पत्र प्रदान करेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से, जो कि यह दावा करे कि उसने धारा 12 के अधीन राज्य सरकार से विनिर्दिष्ट वन उपज का क्रय किया है, किसी पुलिस या वन आफिसर द्वारा माँग किये जाने पर अपने दावे के समर्थन में ऐसा प्रमाण-पत्र पेश करेगा, जिसके पेश न करने की दशा में उसका दावा प्रतिग्रहीत नहीं किया जावेगा और ऐसा स्टाक जिसके सम्बन्ध में उसने राज्य सरकार से क्रय किये जाने का दावा किया है, यदि विक्रय प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित न हो तो वह राज्य सरकार की सम्पत्ति समझी जायेगी और पुलिस या वन आफिसर द्वारा उसे कब्जे में लिया जा सकेगा :

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति, खंडीय वन आफिसर के समक्ष, राज्य सरकार से ऐसा स्टाक क्रय किये जाने के सम्बन्ध में, पुलिस या वन आफिसर द्वारा ऐसी उपज को कब्जे में लेने के पद्धति दिन के अन्दर, साक्ष्य प्रस्तुत करे तो वह स्टाक खंडीय वन आफिसर द्वारा छोड़ दिया जावेगा।

नियम 10. विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के लिये अनुज्ञाप्ति की मन्जूरी - (1) कोई ऐसा व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के कार्य में अपने को लगाने का इच्छुक हो इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित रीति में अनुज्ञाप्ति प्राप्त करेगा।

(2) धारा 13 के अधीन अनुज्ञाप्ति के लिये आवेदन प्ररूप "ट" में होगा, जो प्रत्येक प्ररूप के लिये एक रुपये की देनगी पर खंडीय वन आफिसर के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये पृथक् आवेदन पत्र अपेक्षित होगा।

(3) आवेदन-पत्र खंडीय वन आफिसर या उसके राजपत्रित सहायक के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा जो ऐसी जाँच कराने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे या तो आवेदन-पत्र को उसके लिये कारण अभिलिखित करने के पश्चात् अस्वीकृत कर सकेगा या आवेदक को इन नियमों के अधीन विहित वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस भेजने के लिये निर्देश दे सकेगा।

(4) वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस, आवेदक द्वारा कैलेन्डर वर्ष के दौरान व्यापार किए जाने के लिये अपेक्षित विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा पर आधारित विसर्पणमान (Sliding scale) से सूची में दी गई तालिका के अनुसार होगी।

तालिका

महुआ के फूल (मात्रा विव. में)	महुआ के बीज (मात्रा विव. में)	हर्ष, कचरिया मात्रा (विव. में)
(1)	(2)	(3)
100 विवटल तक	50 विवटल तक	100 विवटल तक
500 विवटल तक	250 " तक	500 विवटल तक
1000 विवटल तक	500 " तक	1000 विवटल तक
1000 विवटल से अधिक	500 " से अधिक	1000 विवटल से अधिक
कुल्लू, खैर, धावड़ा, गोंद व सालई	साल बीज*	वार्षिक अनुज्ञाप्ति फीस रुपये में
(4)	(4a)	(5)
50 विव. तक	50 विव. तक	5/- रुपये
250 विव. तक	250 विव. तक	10/- रुपये
500 विव. तक	500 विव. तक	50/- रुपये
500 विव. से अधिक	500 विव. से अधिक	100/- रुपये से अधिक

(5) आवेदक खंडीय वन आफिसर या उसके राजपत्रित सहायक द्वारा निर्देशित किए अनुसार वार्षिक फीस भेजेगा और ऐसे आदेश पारित किए जाने के सात दिवस के भीतर यह साक्ष्य, कि रकम जमा कर दी गई है, पेश करेगा।

(6) वार्षिक फीस की रकम जमा किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य पेश करने पर खंडीय वन आफिसर या उसका राजपत्रित सहायक प्ररूप 'ठ' में अनुज्ञाप्ति मंजूर करेगा। एक या अधिक विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये एक अनुज्ञाप्ति मंजूर की जा सकेगी।

(7) प्रत्येक अनुज्ञाप्तिधारी, विनिर्दिष्ट वन उपज के लेखाओं का रजिस्टर रखेगा और सम्बन्धित रेज आफिसर को स्टाक की विवरणी ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीखों को, जो कि वन संरक्षक, वन उपज भोपाल द्वारा विहित की जायें, प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि अनुज्ञाप्ति गुम हो जाय या विकृत हो जाय तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि खंडीय वन आफिसर या उसके राजपत्रित सहायक से प्रत्येक प्रमाण-पत्र के लिये पाँच रुपये चुकाने पर प्राप्त की जा सकेगी।

(9) विनिर्दिष्ट वन उपज के ऐसे अनुज्ञाप्तिधारी की अनुज्ञाप्ति, जिसने कि अधिनियम, इन नियमों या राज्य सरकार के साथ किये गये करार की शर्तों का भंग किया हो, जिसके परिणामस्वरूप उसको धारा 16 के अन्तर्गत दण्डित किया गया हो या उसका करार पर्यवसित (Terminate) कर दिया गया हो,

* मध्यप्रदेश वन विभाग अधिक्र. फा./31-1-75-III-I-X दिनांक 31-5-75 (म.प्र. असाधारण राजपत्र दिनांक 31-5-75 (प. 1459 में प्रकाशित) से साल बीज जोड़ा गया।

खंडीय वन आफिसर या उसके राजपत्रित सहायक द्वारा रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगी और ऐसे व्यक्ति को, ऐसी और कालावधि के लिये जो तीन वर्ष तक की हो सकती है, अनुज्ञित अस्वीकृत की जा सकेगी :

परन्तु यदि सम्बन्धित विनिर्दिष्ट वन उपज का अनुज्ञितधारी उपरोक्त आदेश से व्युथित हो, तो वह राजपत्रित सहायक द्वारा अनुज्ञित रद्द किये जाने की दशा में खंडीय वन आफिसर को तथा खंडीय वन आफिसर द्वारा रद्द किये जाने की दशा में क्षेत्रीय वन संरक्षक को, आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे अपीलीय प्राधिकारी, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील को ग्रहण कर सकेगा।

(10) अनुज्ञितधारी द्वारा, फुटकर विक्रय के लिये अपेक्षित विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा का क्रय सरकार से या उसके प्राधिकृत आफिसर से या अभिकर्ता से किया जायेगा।

(11) अनुज्ञितधारी विनिर्दिष्ट वन उपज की पृथक्-पृथक् व्यक्तियों को फुटकर में नीचे विनिर्दिष्ट की गई मात्रा तक विक्रय करेगा :-

विनिर्दिष्ट वन उपज	मात्रा	रिमार्क
1. कुल्लू गोंद	एक सौ ग्राम	
2. धावड़ा, खैर, बबूल का गोंद या सालई रेजिन (चीड़ का गोंद)	एक किलोग्राम	
3. महुआ के फूल	पाँच किलोग्राम	नगरपालिका या नगर की सीमा के भीतर परिवहन पचहतर किलोग्राम
		नगरपालिका या नगर निगम की सीमा के भीतर बाहर परिवहन हेतु
4. महुआ बीज	पाँच किलोग्राम	
5. हर्दा कचरिया	पाँच किलोग्राम	
16. साल बीज	पाँच किलोग्राम	

प्रस्तुप “क”

(Form - A)

[नियम 3(2) देखिये]

अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक का तथा उसके पिता का पूरा नाम (फर्म के मामले में फर्म के भागीदारों और मुख्तारानामी धारण करने वालों के नाम)
2. वृत्ति
3. पूरा नाम
4. कारबार का/के स्थान
5. विनिर्दिष्ट वन उपज का पूर्व अनुभव यदि कोई हो तथा संकार्य का/के क्षेत्र।
6. विनिर्दिष्ट वन उपज की वह मात्रा जो गत तीन वर्ष के दौरान एकत्रित की गई हो और

1. म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 31-5-1975 पृ. 1959 नियम 10(11) में तालिका में आइटम 6 साल बीज, अन्तःस्थापित।

जिसका व्यवसाय किया हो प्रत्येक वर्ष संकार्य क्षेत्र तथा प्रत्येक विनिर्दिष्ट वनोपज के लिये अलग-अलग दर्शायें।

7. निजी सम्पत्ति के ब्यौरे
8. वह इकाई जिसके अभिकरण के लिये आवेदन किया है।
9. वह विनिर्दिष्ट वन उपज जिसके लिये अभिकरण किया है
10. दस रुपये आवेदन-फीस चुकाने का साक्ष्य
11. पाँच सौ रुपये अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप के संदाय का साक्ष्य
12. नियम 3 (5) के अनुसरण में व्यक्तिगत शोधक्षमता का प्रमाण-पत्र या प्रतिभूति।

घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 तथा उसके अधीन बनाये गये जब नियमों के उपबन्धों को तथा सूचना में वर्णित की गई अभिकरण (Agency) की शर्तों के पढ़ लिया है तथा समझ लिया है और मैं/हम उनका पालन करने का करार करता हूँ/करते हैं। मैंने/हमने इकाई क्र. का स्वयं निरीक्षण किया है। यदि मुझे/हमें वर्णित इकाई के लिए अभिकर्ता नियुक्त कर दिया जाय तो मैं/हम वन उपज की वह मात्रा जो कि से कम नहीं होगी, विनिर्दिष्ट उपज के उगाने वालों से क्रय करने तथा सरकारी भूमि से संग्रहीत करने और परिदृश्य करने, दोनों का भार अपने ऊपर लेता हूँ/लेते हैं।

मैं/हम नियुक्ति आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर, नियमों के अधीन विहित किये गये प्रस्तुप में मध्यप्रदेश शासन के साथ करार निष्पादित करूँगा/करेंगे।

¹ [तथा ऐसा करने की चूक करने से मेरे/हमारे प्रतिभूति निक्षेप समपहत (Forfeited) किया जा सकेगा और मेरी/हमारी नियुक्ति रद्द होने के परिणामस्वरूप शासन द्वारा उठाई गई हानि, यदि कोई हो, भूराजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी और ऐसी हानि नियम 3 के उपनियम (8) के अधीन विहित रीति से संगणित की जायेगी] ।

अभिकर्ता के हस्ताक्षर

प्रस्तुप "ख"

(FORM - B)

[नियम 3 (8) देखिये]

अभिकर्ता का करारनामा

यह करार आज तारीख माह सन्

प्रथम पक्ष के मार्फत कार्य करते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् राज्यपाल कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत उसके पद के उत्तरवर्ती आते हैं) तथा द्वितीय पक्ष श्री/मेसर्स आत्मज.....

निवासी तहसील जिला (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अभिकर्ता (Agent) कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत उसके वारिस, उत्तराधिकारी प्रतिनिधि तथा समनुदेशिती आते हैं) के मध्य किया जाता है।

1. म.प्र. शासन की अधिसूचना क्र. 2017/3079/दस/3-1-74 IR 3-1-74 (17-5-75 राजपत्र असाधारण म.प्र. पृष्ठ 1258 के अनुसार घोषणा संशोधित।

चूंकि विनिर्दिष्ट वन उपज का व्यापार मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9, वर्ष 1969) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा विनियमित किया गया है;

और चूंकि उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) के अधीन विभिन्न इकाइयों में इस प्रयोजन के लिये अभिकर्ताओं की नियुक्तियाँ किया जाना है;

और चूंकि राज्यपाल, अभिकर्ता की प्रार्थना पर उसे, इसमें, इसके पश्चात् दिये गये निबन्धनों एवं शर्तों पर वन खण्ड में इकाई क्रमांक के लिये अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करने के लिये सहमत हो गया है;

अतएव यह प्रलेख निम्नलिखित बारों का साक्षी है तथा इससे सम्बन्धित पक्ष, एतद्वारा, निम्नानुसार परस्पर करार करते हैं :-

(1) राज्यपाल एतद्वारा, श्री/मेरसर्स..... को इसमें वर्णित प्रयोजनों के लिये वनखण्ड की इकाई क्रमांक में, जो कि अधिक विशिष्ट रूप से अनुसूची "क" में वर्णित की गई है तथा इससे उपाबद्ध मानचित्र में दर्शाई है विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में अपने अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करते हैं।

(2) यह करार तारीख से तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि वह राज्यपाल द्वारा इन प्रलेखों के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार उसके पूर्व में ही पर्यवसित न कर दिया जाये।

(3) मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969 के (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के नाम से निर्दिष्ट है) उपबन्ध इन प्रलेखों (deeds) के भाग होंगे और उनके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वे इन प्रलेखों में विनिर्दिष्ट समाविष्ट हो चुके हैं।

(4) अभिकर्ता को इकाई में विनिर्दिष्ट वन उपज के संग्रहण तथा परिदान की व्यवस्था करने हेतु अभिकरण कालावधि की समाप्ति पर उसमें इसके नीचे दी गई किश्तों में पूर्ण पारिश्रमिक चुकाया जायेगा।

दिनांक को या उसके पश्चात्	मात्रा के संग्रहण तथा परिदान के पश्चात्	देय रकम
(1)	(2)	(3)

परन्तु-

(एक) अभिकर्ता (Agent) विनिर्दिष्ट वनोपज की ऐसी मात्रा के लिए जो से अधिक संग्रहीत तथा परिदत्त की गई हो रुपये विनिर्दिष्ट वन उपज की दर से विनिर्दिष्ट वन उपज के प्रति के लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक पाने का हकदार होगा; और

(दो) अभिकर्ता (Agent) से कम पड़ने वाली विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये रुपये प्रति की दर से संगणित की गई रकम उसके पारिश्रमिक में से काटे जाने के दायित्वाधीन होगी।

(5) अभिकर्ता (Agent) एतद्वारा राज्यपाल के साथ निम्नानुसार अभिव्यक्तरूपेण प्रसंविदा करता है -

(एक) वह विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में उसके द्वारा किए गये समस्त संव्यवहारों में राज्यपाल के लिये तथा उसकी ओर से कार्य करेगा समस्त मूल्य तथा व्यय, जिन्हें की, यथास्थिति, स्वच्छन्करण, भण्डारकरण, श्रेणीकरण, प्रसंस्करण, परिवहन, बोरों में भरने तथा हस्तान्तरण करने के मद्दे पूरा करने या उपगत करने की, इस लेख के

अधीन उससे अपेक्षा की जाती है, अनुसूची “ख” में विनिर्दिष्ट की गई दरों से अधिक नहीं होंगे। उपर्युक्त मूल्य तथा व्ययों किये जिनके अन्तर्गत वे खर्चे तथा व्यय आते हैं, जिसका नीचे के खण्ड (चार) (पाँच) के अधीन किया जाना अपेक्षित हो, किन्तु जो कि उसकी ओर से होने वाली उपेक्षा या अवचार के लिये शास्ति की भरपाई के लिये न होकर अन्यथा हो, उसके द्वारा अपने अधिकार में रखे गये प्रारम्भिक अप्रदाय धन में से पूर्ति की जाएगी तथा इस करार के निबन्धनों के अनुसार उसके द्वारा तत्पश्चात् प्राप्त की गई रकमें और उसके द्वारा राज्यपाल के लिये तथा उसकी ओर से इस प्रकार किये गये समस्त व्यय नियतकालिक या अन्तिम हिसाब लेते समय समायोजित किए जावेंगे।

(दो) वह विनिर्दिष्ट वन उपज के ऐसे प्रकार की क्वालिटी तथा मात्रा का, जो कि अनुसूची “ज” में विनिर्दिष्ट की गई है, उगाने वालों से क्रय करेगा, और/या सरकारी भूमियों से संग्रहण करेगा और यदि खंडीय वन आफिसर द्वारा लिखित में दिया जाय तो वह उन्हें सुखाएगा, साफ करेगा, श्रेणीकरण करेगा तथा प्रसंस्करण के पश्चात् बोरे में भरेगा, उनका परिवहन करेगा और उन्हें उसके द्वारा निर्मित या भाड़े पर लिए गये संग्रहण गोदाम में संग्रहीत करेगा।

(तीन) अभिकर्ता (Agent) अनुसूची “ग” में तथा विनिर्दिष्ट रीति में सुखाने, स्वच्छकरण, (Cleaning), श्रेणीकरण¹, प्रसंस्करण², बोरे में भरने तथा संग्रहण का संकार्य इस प्रकार करेगा कि जिससे उक्त उपज उपभोग व विनाश में कच्चे माल के रूप में उपयोग या व्यापार के लिये उपयुक्त बनी रहे। यदि उक्त उपज की उपयोग या कच्चे माल के रूप में उपयोग या व्यापार के प्रयोजन के लिये उपयुक्तता के सम्बन्ध में कोई विवाद हो, तो वह मामला खंडीय वन आफिसर को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसका कि विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु अभिकर्ता ऐसी किसी भी हानि के लिये दायित्वाधीन होगा जो कि सरकार ने उपभोग या विनाश में कच्चे माल के लिए उपयोग में या ऐसी वन उपज की उपयुक्तता न होने से अस्वीकार कर दिये जाने के कारण उठाई हो और इस प्रकार उठाई गई हानि अभिकर्ता से प्रतिभूति निक्षेप (Security deposit) में से वसूल की जाएगी और भूराजस्व के बकाया की भाँति भी वसूली योग्य होगी।

(चार) अभिकर्ता (Agent) उगाने वालों को ऐसा क्रय मूल्य चुकावेगा जो कि अधिनियम की धारा 7 के अधीन सरकार द्वारा नियत किया जाय तथा अनुसूची “घ” में उल्लिखित किया जाय।

(पाँच) वह सरकारी वनों तथा अन्य शासकीय भूमियों से विनिर्दिष्ट वन उपज का संग्रहण करने के लिये लगाये व्यक्तियों को ऐसे संग्रहण सम्बन्धी प्रभार चुकावेगा जो कि राज-पत्र में अधिसूचित तथा अनुसूची “ड” में उल्लिखित किये गये हों।

(छ) वह विनिर्दिष्ट वन उपज की ऐसी मात्रा का परिदान इस इकाई के लिये नियुक्त “क्रेता” को या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो कि खण्ड के खण्डीय वन आफिसर द्वारा (जिसे इसमें, इसके पश्चात् उक्त वन आफिसर कहा गया है) समय-समय पर निर्देशित किये जायें, करेगा।

(सात) इस प्रकार क्रय की गई या संग्रहीत की गई विनिर्दिष्ट वन उपज उसके द्वारा सरकार के लिये और उसकी ओर से तब तक रखी जावेगी जब तक कि वह क्रेता या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो कि उक्त वन आफिसर द्वारा निर्देशित किय जायें, परिदृष्ट न कर दी जाय।

1. Grading.

2. Processing.

सिल के नाम पर इस प्रकार क्रय की गई या संग्रहीत की गई विनिर्दिष्ट वन उपज उसके लिए सिल किसी द्वारा सरकार के लिये और उसकी ओर से तब तक रखी जावेगी जब तक कि वह क्रेता नियम के नियम या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो कि उक्त वन आफिसर द्वारा निर्देशित किय जायें, (५) परिदृश्य परिदृश्य वन उपज कर दी जाय ।

(आठ) वह इकाई के भीतर ऐसे केन्द्रों में ऐसे संग्रहण संबंधी काष्ठागार (Collection depot) खोलेगा तथा ऐसे संग्रह सम्बन्धी गोदामों का निर्माण करावेगा जिनका कि उक्त वन आफिसर द्वारा निर्देश दिया जाय । अभिकर्ता खंडीय वन आफिसर के या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किये गये आफिसर के लिखित आदेश प्राप्त किये बिना खण्ड 5 (दो) में वर्णित शर्तों के अध्यधीन संग्रहण कार्य बन्द नहीं करेगा ।

(नौ) वह इस प्रकार क्रय, संग्रह की गई विनिर्दिष्ट वन उपज का निकटतम गोदाम तक परिवहन करेगा । इसके पश्चात् वह उसे संग्रह गोदाम से तब तक नहीं हटावेगा जब तक कि उक्त वन आफिसर द्वारा, उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन रहते हुए निर्देश न दिये जायें ।

(दस) वह विनिर्दिष्ट वन उपज के क्रय और संग्रह के लिये सरकार द्वारा अधिसूचित की गई दरों को प्रत्येक केन्द्र पर स्थानीय भाषा में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा ।

(यारह) वह विनिर्दिष्ट वन उपज विनियोग से सम्बन्धित ऐसे समस्त अधिकारों का ध्यान रखेगा जो कि प्रायवेट व्यक्तियों में विधिपूर्वक निहित हों ।

(बारह) वह, ऐसे रजिस्टर तथा लेखे ऐसे प्रस्तुपों में रखेगा जो कि समय-समय पर विहित किये जायें ।

(तेरह) वह उक्त वन आफिसर को, या ऐसे अन्य अफिसर को जो कि उक्त वन आफिसर द्वारा प्राधिकृत किया जाय, ऐसी विवरणियाँ ऐसे अन्तरालों पर प्रस्तुत करेगा जो कि उक्त वन आफिसर द्वारा समय-समय पर निर्देशित किए जावें ।

(चौदह) वह उक्त वन आफिसर को तथा ऐसे किसी अन्य अफिसर को जो कि उक्त वन आफिसर द्वारा प्राधिकृत किया जावे, किसी संग्रह केन्द्र तथा भण्डारकरण, गोदाम में रखे स्टाक तथा लेखाओं के निरीक्षण के लिये समस्त सुविधायें देगा ।

(पन्द्रह) वह किसी भी ऐसे नुकसान के लिये उत्तरदायी होगा जो कि सरकारी वन में उसके संकार्य के अनुक्रम में उसकी उपेक्षा या चूक के कारण सरकारी वन को पहुँचे । ऐसे नुकसान के लिये प्रतिकर का निर्धारण उक्त वन आफिसर द्वारा किया जावेगा उस पर (प्रतिकर के) उसका विनिश्चय, क्षेत्रीय वन संरक्षक को अपील के अध्यधीन रहते हुए, अन्तिम निश्चायक तथा पक्षकारों को आबद्धकर होगा :

परन्तु नुकसान के लिये कोई भी प्रतिकर (Compensation) अभिकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्धारित नहीं किया जावेगा ।

(सोलह) वह, समस्त समयों पर, तत्समय ऐसे समस्त नियमों, विनियमों, आदेशों का पालन तथा अनुपालन करेगा जो कि भारतीय वन विधान, 1927 के अधीन बनाये तथा जारी किये गये हों । अभिकर्ता के इस बात से अवगत होने की दशा में कि किसी व्यक्ति या किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा, पूर्वोक्त नियमों, विनियमों तथा आदेशों में से किसी भी नियम, विनियम या आदेश का भंग किया गया है वह ऐसे भंग के तथ्य की रिपोर्ट निकटतम वन आफिसर को तत्काल कराने और ऐसे भंग किये जाने से सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों का पता लगाने के लिये अपने पूर्ण प्रयासों का उपयोग करेगा तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का गिरफ्तार कराने में तथा समुचित प्राधिकारियों द्वारा उन्हें या उसे सिद्धदोष ठहराने में समस्त युक्तियुक्त सहायता, यदि अपेक्षित हो, देगा ।

(सत्रह) वह, उक्त अधिनियम, उक्त नियमों द्वारा या उनके अधीन उसके द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित समस्त कार्यों तथा कर्तव्यों को करने तथा निषिद्ध किए गये, किसी कार्य को करने या सम्पादित करने से विरत रहने तथा इस करार के निबन्धनों तथा शर्तों के सम्यक पालन तथा अनुपालन के लिये प्रतिभूति के रूप में उक्त नियम ३ के उपनियम (९) के अनुसार संगणित की गई वन आफिसर के पक्ष में निषिद्ध की गई रूपये (..... रुपये) की राशि गिरवी रखने के लिए, स्वयं को आबद्ध करता है। अभिकर्ता यह और भी करार करता है कि वह ऐसे प्रत्येक कार्य लोप या कार्य के लिये जो उसके स्वयं के द्वारा या उसके द्वारा नियोजित किये गये व्यक्तियों द्वारा उक्त अधिनियम, उक्त नियमों या इस करार के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो, राज्यपाल को पाँच सौ रुपये की राशि चुकावेगा।

(अट्टारह) यदि वह खण्ड ५ के उपबन्ध (दो) में उपबन्धित किये अनुसार विनिर्दिष्ट वन उपज को क्रय करने, संग्रहीत करने और/या उसकी मात्रा परिदृष्ट करने में असफल रहे, तो यह समझा जायेगा कि उसने अभिकर्ता के रूप में अपने आभारों का भंग किया है और वह रुपये प्रति की दर से प्रतिकर चुकाने के दायित्वाधीन होगा।

(उन्नीस) विनिर्दिष्ट वन उपज के किसी लाट या किन्हीं लाटों का परिदान करने के पश्चात्, अभिकर्ता उस धन का जो उसे राज्यपाल द्वारा क्रय तथा संग्रहण सम्बन्धी प्रभारों की तथा राज्यपाल की ओर से उसके द्वारा भुगतान किये गये समस्त अन्य व्ययों की तथा पारिश्रमिक की पूर्ति के लिए सौंपा गया हो, लेखा प्रस्तुत करेगा और उसे, उसको शोध्य शेष रकम का, यदि कोई हो, संदाय नियमों द्वारा विहित की गई रीति में किया जायेगा। ऐसा करते समय उक्त वन आफिसर, अभिकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसी रकम या रकमों को जो इस करार के अनुसार अभिकर्ता से वसूली योग्य किसी शास्ति, प्रतिपूर्ति या किसी अन्य खर्चों या व्ययों के मद्दे राज्यपाल को शोध्य हो, काट सकेगा।

(बीस) ऐसी कोई रकम, जिसका उक्त अधिनियम की धारा ९ के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज के उगाने वाले को प्रतिकर के रूप में चुकाया जाना अभिकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट वन उपज के अनुचित रूप से अस्वीकार किये जाने के कारण राज्य सरकार से अपेक्षित हो अभिकर्ता श्री से वसूल की जावेगी।

(6) अभिकर्ता यह और भी करार करता है कि वह विनिर्दिष्ट वन उपज की जब कि वह उसके नियंत्रण के अधीन रहे, सुरक्षित अभिरक्षा तथा संग्रहण के लिए उत्तरदायी होगा और इस करार के या तो समय बीत जाने के कारण या अन्यथा, पर्यावरण के तारीख तथा उसके द्वारा रखी गई विनिर्दिष्ट वन उपज स्टाक को अग्नि, चोरी आदि से बचाने के लिए आवश्यक पूर्वोपयार भी करेगा।

(7) यदि अभिकर्ता करार की शर्तों में से किसी शर्त को भंग करे और यदि ऐसे किसी भंग के कारण करार का पर्यावरण किया जाना प्रस्तावित न किया गया हो, तो ऐसा वन आफिसर, प्रत्येक भंग के लिये, ऐसी शास्ति जो पाँच सौ रुपये से अधिक न हो, अधिरोपित कर सकेगा। यदि शास्ति की रकम दो सौ रुपये से अधिक हो तो इस आदेश के विरुद्ध अपील क्षेत्रीय वन संरक्षक को होगी, जिसका कि विनिश्चय अन्तिम तथा पक्षकारों को आबद्धकर होगा।

(8) यदि अभिकर्ता इस करार के निबन्धनों में से किसी भी निबन्धन के पालन में चूक करे, तो किसी भी अन्य अधिकारों या प्रतिकरों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्यपाल, अपने विकल्पानुसार करार पर्यावरण कर सकेंगे। करार के इस प्रकार पर्यावरण हो जाने पर राज्यपाल-

(क) उक्त खंड ५ (सत्रह) में वर्णित प्रतिभूति निषेप सम्पहत करने।

- (ख) अभिकर्ता से, इस करार के वसूली योग्य संभाव्यतः वसूल योग्य शास्ति, प्रतिकर प्रतिपूर्ति खर्च, शोध्य, प्रभार भू-राजस्व के भाँति वसूल करने, और
- (ग) तीन वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए अभिकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज करने के लिये हकदार होंगे।

(9) इस करार के अधीन अभिकर्ता से वसूली योग्य कोई भी राशि उससे भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली हकदार होंगे।

अनुसूची	क
अनुसूची	ख
अनुसूची	ग
अनुसूची	घ
अनुसूची	ड

जिसके साक्ष्य में इससे सम्बन्धित पक्षों में प्रथम बार ऊपर लिखी तारीख तथा वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं और अपनी-अपनी मुद्रा अंकित कर दी है।

साक्ष्य - (Witness)

- (1)
- (2)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से

साक्ष्य-

- (1)
- (2)

अभिकर्ता (Agent) के हस्ताक्षर

प्रस्तुति "ग"

(FORM - C)

[नियम 4 (2) देखिये]

परिवहन अनुज्ञा-पत्र की मंजूरी के लिये आवेदन-पत्र

(Form of Application for grant of Transport Permit)

- (क) आवेदक का नाम
 (ख) क्रय की गई विनिर्दिष्ट वनोपज की मात्रा
 (ग) वह खंड तथा इकाई, जिसमें कि
विनिर्दिष्ट वन उपज क्रय की गई।
 (घ) वह स्थान या वे स्थान जहाँ से वन उपज
संग्रह की गई। यदि एक से अधिक स्थान
में संग्रह की गई हो तो प्रत्येक स्थान पर
संग्रहीत मात्रा का उल्लेख कीजिये।
 (ङ) अपेक्षित अनुज्ञा-पत्र का प्रकार
 (च) वह मात्रा जिसके लिये अनुज्ञा-पत्र
का अपेक्षित है।
 (छ) कालावधि, जिसके लिये अनुज्ञा-
पत्र अपेक्षित है।
 (ज) गंतव्य स्थान जहाँ से और जहाँ तक
से विनिर्दिष्ट वन उपज का परिवहन
तक किया जाना है।

- (श) परिवहन की रीति
 (ज) वे मार्ग जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट वन उपज परिवहन की जानी है।
 (ट) वे स्थान जहाँ विनिर्दिष्ट वन उपज जाँच पड़ताल के लिए प्रस्तुत की जावेगी।
 (ठ) वह स्थान/वे स्थान परिवहन की गई विनिर्दिष्ट वनोपज संग्रहीत की जावेगी।
 (ड) विक्रय प्रमाण-पत्र जो संलग्न है।
 स्थान.....
 दिनांक
आवेदक के हस्ताक्षर

प्रस्तुति "पी" 1 (मुख्य)

Transport permit (Main)

[नियम 5 (1) देखिये]

संग्रहण डिपो से भंडारकरण गोदाम तक

- पुस्तक क्रमांक पृष्ठ क्रमांक
 श्री मेसर्स खंड के यूनिट क्रमांक
 के क्रेता ने के सम्बन्ध में करार के खंड के अनुसार
 के किंवटलों का क्रय मूल्य रुपये
 पूर्णतः अंशतः चुका दिया है। तदनुसार उसे किंवटल का
 से (संग्रहण डिपो से)

(भंडारकरण गोदाम) तक परिवहन करने की अनुज्ञा दी जाती है।

(2) अनुज्ञा-पत्र दिनांक तक विधिमान्य है। उपरोक्त का परिवहन निम्नलिखित मार्ग से किया जायेगा तथा जाँच पड़ताल के लिये और परिरक्षण हेतु निम्नलिखित स्थानों पर प्रस्तुत किया जावेगा।

(3) उपयोग करने के लिये अनुज्ञात (सहायक अनुज्ञा-पत्र के ब्यौरे-

- पुस्तक क्र. पृष्ठ क्र. दिनांक
 तक जारी करने के लिये विधिमान्य है।

खण्डीय वन आफिसर

प्रस्तुति "पी" 2

[नियम 5 (1) दो देखिये]

परिवहन अनुज्ञा-पत्र 2

राज्य से बाहर परिवहन हेतु

- पुस्तक क्र. पृष्ठ क्र.
 (1) श्री मेसर्स खंड के यूनिट क्र.
 के क्रेता को (वन उपज) के सम्बन्ध में पैकेजों में पैक की गई किंवटल
 विनिर्दिष्ट वन उपज का से तक सड़क द्वारा तथा
 वहाँ से तक ट्रेन द्वारा परिवहन करने की अनुज्ञा दी जाती है।
 (2) मध्यप्रदेश के बाहर पारेषिती का नाम तथा पता ।

- (3) अनुज्ञा-पत्र दिनांक विधिमान्य है।
 स्थान
 दिनांक मुद्रा खंडीय वन आफिसर

प्रस्तुप पी-३

[नियम 5 (1) तीन देखिये]

- पुस्तक क्र. पृष्ठ क्र.
 संग्रहण केन्द्र भंडारकरण गोदाम से राज्य के भीतर किसी स्थान तक
 (1) क्रेता का नाम
 (2) यूनिट क्र. खण्ड के सम्बन्ध में ।
 (3) गौण वन उपज की मद
 (4) खंडीय वन आफिसर के प्राधिकार का निर्देश क्र. दिनांक
 (5) मात्रा कालावधि जिसके लिये पद 4 में प्राधिकार जारी किया गया है।
 (6) उपरोक्त प्राधिकार के अधीन पूर्व में परिवहन की गई मात्रा.....
 (7) अब इस अनुज्ञा-पत्र के द्वारा परिवहन की जाने क्विटल वाली मात्रा (प्रत्येक पैकेजवार वजन दीजिये) पैकेज
 (8) स्थान से तक
 (9) परिवहन का प्रयोजन
 (10) परिवहन का मार्ग
 (11) जाँच पड़ताल के स्थान
 (12) अनुज्ञा-पत्र दिनांक तक विधिमान्य है।

जाँच करने वाले के हस्ताक्षर जारी करने वाले के हस्ताक्षर
 नोट- जब तक खण्डीय वन आफिसर द्वारा लिखित में अन्यथा प्राधिकृत न किया हो अवधि 48 घंटे से अधिक नहीं होगी।

प्रस्तुप “घ”

(FORM-D)

[नियम 6 (2) देखिये]

विनिर्दिष्ट वन उपज (Specified Forest Produce) के सम्बन्ध में
 धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज को उगाने वालों के
 रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन

- (क) आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता
 (ख) उन भू-खण्डों की स्थिति, क्षेत्र तथा सर्वे
 नम्बर.जिन पर विनिर्दिष्ट वन उपज
 उगाई गई है।
 (ग) भूमि के स्वामी के विषय में विशिष्टियाँ
 (घ) प्रत्येक भू-खण्ड के विद्यमान वृक्षों की संख्या
 (ङ) क्या विनिर्दिष्ट वन उपज () को वाणिज्य फसल के रूप में उगा रहा है।
 (च) विनिर्दिष्ट वन उपज () का

प्राक्कलित उत्पादन।

(छ)	गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा संग्रहीत की गई।	वर्ष	मात्रा
.....
.....
.....

(ज) तथा वर्ष
	(पिछले दो वर्षों) में विनिर्दिष्ट वन उपज ()
	किसको और कितनी राशि में बेची गई।

(झ)	स्थान, जहाँ विनिर्दिष्ट वन उपज जब
	तक परिदान न किया जाये। अस्थाई रूप से संग्रहीत की जायेगी।

स्थान.....
दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर
(Signature of the Applicant)

प्रस्तुप “ड”

(FORM -E)

[नियम 6 (2) देखिये]

वन उपज के उगाने वालों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्र. पृष्ठ क्र.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री आत्मज

..... ग्राम थाना तहसील

..... जिला जो इकाई क्र.

में आता है, को खंड की विनिर्दिष्ट वन उपज के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश

वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969 की धारा 10 के अधीन अपेक्षित किये अनुसार विनिर्दिष्ट

वन उपज के उगाने वाले के रूप में तारीख को रजिस्ट्रीकरण किया गया है।

उपभोग या निर्माण के लिये कच्चे माल के रूप में या व्यापार के लिये उसके खाते में की उपर्युक्त विनिर्दिष्ट वन उपज का वार्षिक उत्पादन प्राक्कलित है। संग्रह के स्थान।

उगाने वाला उसके द्वारा तारीख से तक की कालावधि के दौरान संग्रहीत तथा निर्वित वन उपज का लेखा रखेगा और उसे इस कार्यालय में प्रतिवर्ष तारीख को प्रेषित करेगा।

खातों का ब्यौरा-

.....

उपखंडीय, वन आफिसर

(Divisional Forest Officers)

संलग्न अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रस्तुप “च”

(FORM - F)

[नियम 6 (5) देखिये]

वन उपज की रजिस्ट्रीकृत उगाने वाले (Registered Grower) की लेखा पर्ची (Account Slip)

वर्ष नाम तथा पता रजिस्ट्रीकरण क्रमांक

इकाई वनोपज मात्रा |
 खण्डीय वन आफिसर
खण्ड

दिनांक	क्रय की गई	दर	भुगतान की	अधिकृत या सरकार के ऐसे ऑफि-
	मात्रा		गई राशि	सरों के हस्ताक्षर जो विनिर्दिष्ट वन
(1)	(2)	(3)	(4)	उपज क्रय करने हेतु प्राधिकृत है

प्रस्तुप "छ"

(FORM-G)

DECLARATION (FORM)

विनिर्दिष्ट वन उपज के विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता द्वारा घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम विनिर्दिष्ट (वनोपज) के जिला राज्य में कार्यरत वास्तविक विनिर्माता व्यापारी हूँ/हैं। मेरे/हमारे कारबार व्यौरै निमानुसार हैं :-

- (1) उस व्यक्ति या फर्म या कम्पनी का नाम
जिसके नाम से कारबार चलाया जाता है।
- (2) फर्म या कम्पनी का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
कारबार के उन केन्द्रों के नाम जिनमें
कि या तो कार्यालय हो या डिपो हो -

(1)
(2)
(3)

- (4) घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने के समय
प्रत्येक डिपो में विनिर्दिष्ट (वनोपज)
का वर्तमान स्थाक।

संग्रहण केन्द्र का नाम	प्रजाति	मात्रा
(1)	(2)	(3)

(5) वह व्यापार जिसके विनिर्दिष्ट (वनोपज) को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है या उसके किस प्रकार उपयोग किया गया है।

(6) पूर्व के दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विनिर्मित ऐसे तैयार माल की मात्रा जिसके कि विनिर्दिष्ट (वनोपज), को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया गया है प्रयोग में लाई गई विनिर्दिष्ट (वनोपज), की मात्रा।

वर्ष (Year)	तैयार माल की मात्रा (Quantity of finished Product)	उपयोग में लाई गई विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा
(1)	(2)	(3)

(7) आगामी वर्ष के दौरान तैयार माल की अनुमानित मात्रा और उसके लिये विनिर्दिष्ट (वनोपज) की अनुमानित आवश्यकता-

- (क) अनुमानित तैयार माल
 (ख) विनिर्दिष्ट (वनोपज) अनुमानित
 आवश्यकता/मात्रा ।

(8) पूर्व के दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निर्यात की गई विनिर्दिष्ट (वन उपज) की मात्रा ।

वर्ष	निर्यात का स्थान (Place of Export)	किसको निर्यात की गई ^{या विक्रय की गई}	मात्रा
1.	1.
	2.
	3.
2.	1.
	2.
	3.

(9) आगामी वर्ष के दौरान अनुमानित निर्यात (मात्रा)में यह और घोषित करता हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध पढ़ लिये हैं तथा समझ लिये हैं ।

ऊपर दिये गये समस्त व्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं और उनके प्रमाण में साक्ष्य पेश करूंगा ।

स्थान

विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की तारीख तारीख को
 (आफिसर) को(स्थान) पर दो प्रतियों में प्रस्तुत की गई ।

विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के हस्ताक्षर

प्रस्तुप-ज

(FORM-H)

[नियम 8 (2) देखिये]

धारा 11 के अधीन विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) के विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र-

1. आवेदक का नाम, उसके पिता का
 नाम तथा आवेदक का पता ।

(यदि वह रजिस्ट्रीकृत फर्म या कम्पनी हो, तो फर्म या कम्पनी के नाम, उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक, रजिस्ट्रीकरण का वर्ष मुख्यारनामा धारण करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता मुख्यारनामे की एक प्रति संलग्न की जाय)।

2. कारबार का/के स्थान या मुख्यालय या प्रधान कार्यालय की स्थिति, ग्राम या नगर, तहसील, पुलिस थाना तथा जिला।

3. विनिर्दिष्ट वन उपज

व्यापार की विशिष्टियाँ (मात्रा)

(A) प्रतिवर्ष कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त औसत मात्रा।

और/या

गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के बाहर प्रतिवर्ष निर्यात की गई विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) की औसत मात्रा तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष निर्यात की गई विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) की मात्रा।

20.....

20.....

20.....

औसत (Average).....

(B) विनिर्माता की दशा में व्यापारी चिन्ह, यदि कोई हो तथा व्यापारी की दशा में उस स्थान का नाम या उन स्थानों के नाम, जहाँ विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) का निर्यात किया जाता है।

(C) विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) की प्राक्कलित वार्षिक आवश्यकता –

(एक) निर्माण के कच्चे माल के रूप में उपयोग या व्यापार के प्रयोजन हेतु

(दो) निर्यात के प्रयोजन हेतु

(D) उन गोदामों के स्थान का या स्थानों के नाम जहाँ आवेदक का वन उपज (.....) का स्टाक भण्डारित किया जाता है।

(E) वह रीति, जिसमें कि अपेक्षित स्टाक अभिप्राप्त किया जाता है।

(F) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (एक्साइज) रजिस्ट्रीकरण क्रमांक यदि कोई हो।

4. आवेदक जबकि वह

(एक) विनिर्माता (Manufacturer) है

(दो) व्यापारी (Trader) है

(तीन) उपभोक्ता (Consumer) है- के रूप में कब से कार्य करता है).....

5. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम तथा पते जिनको कि आवेदन पत्र के ब्यौरे के सत्यापन के लिये निर्देश किया जा सके।

(एक)

(दो)

6. विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) की मात्रा जिसके लिये राष्ट्रीयकरण अपेक्षित है।
7. वर्ष जिसके लिये रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित है।
8. क्या आवेदक पूर्व में रजिस्ट्रीकृत (Registered) किया गया था और यदि ऐसा है तो किस वर्ष में तथा किस खण्ड में और विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) की कितनी मात्रा के लिये।
9. कोई अन्य जानकारी जिसे आवेदक इस साक्ष्य के रूप में देना चाहे कि वह विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) का वास्तविक विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता है।
10. रूपये रजिस्ट्रीकरण फीस के संदाय का साक्ष्य।

स्थान.....

तारीख

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रस्तुप - झ**(FORM - I)**

[नियम 8 (2) देखिये]

विनिर्दिष्ट वन उपज के विनिर्माता/व्यापारी/

उपभोक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्रमांक पृष्ठ क्रमांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/मेसर्स

आत्मज निवासी थाना

तहसील जिला को मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन)

अधिनियम, 1969 की धारा 11 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) के विनिर्माता/व्यापारी/उपभोक्ता के रूप में वर्ष के लिये रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

विनिर्माण/व्यापार/उपभोग के लिये प्रतिवर्ष हाथ में ली गई विनिर्दिष्ट वन उपज (.....) की प्राक्कलित मात्रा लगभग है जो निम्नलिखित स्थानों पर संग्रहीत है:-

- (1) निवासी का नाम.....
- (2) निवासी का वासस्थान.....
- (3) निवासी का जन्मस्थान.....
- (4) निवासी का वासस्थान का गोपनीय सुदृढ़ नाम.....
- (5) निवासी का वासस्थान का गोपनीय वन आफिसर

प्रतिलिपि वन संरक्षक, वन उपज मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर से सूचनार्थ अग्रेषित।

खण्डीय वन आफिसर

प्रस्तुप झ**(FORM - J)**

पुस्तक क्रमांक पृष्ठ क्रमांक.....

[नियम 9 देखिये]

विक्रय का प्रमाण-पत्र

- (1) क्रेता का नाम.....
- (2) विक्रय डिपो इकाई.....
- (3) विक्रय की गई/परिदत्त की गई मात्रा.....

(4) विक्रय/परिदान की तारीख.....

स्थान

वन अधिकारी/अभिकर्ता

दिनांक

या प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

प्रस्तुप-ट**(FORM - K)**

[नियम 10 (2) देखिये]

विनिर्दिष्ट वन उपज के अनुज्ञितधारी को अनुज्ञित मंजूर करने के लिये आवेदन पत्र

- (1) आवेदक तथा उसके पिता का नाम
(फर्म के मामले में तथा फर्म के नाम
से कार्य करने वाले भागीदारों और
मुख्तारनामा धारण करने वाले
व्यक्तियों के नाम तथा मुख्तारनामे
की प्रति संलग्न की जाय)
- (2) पूरा पता
- (3) वृत्ति
- (4) कारबार के स्थान
- (5) उस विनिर्दिष्ट वन उपज का नाम
- जिसके लिये आवेदन दिया है।
- (6) विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा जिसके
लिये आवेदन दिया है।
- (7) प्रत्याशित वार्षिक आवश्यकता
- (8) निजी सम्पत्ति के ब्यौरे सहित वित्तीय स्थिति ।
- (9) उक्त विनिर्दिष्ट वन उपज के व्यापार
- में पूर्व अनुभव (यदि कोई हो) तथा
संकार्य के क्षेत्र।
- (10) स्थान जिसके लिये अनुज्ञित हेतु आवेदन,
किया गया है
- (11) आवेदन फीस के संदाय का साक्ष्य
- (12) वार्षिक अनुज्ञित फीस संदाय का साक्ष्य
- (मूल चालान आदि संलग्न किये जायें)

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैंने/हमने मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969 तथा उसके अधीन बनाये
गये नियमों के समस्त उपबन्धों को पढ़ तथा समझ लिया है। अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के भंग
की दशा में मैं/हम विहित की गई रीति से दण्डित किया जा सकूँगा/किये जा सकेंगे। ऊपर दी गई
जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास से सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रस्तुप-ठ

(FORM-L)

[नियम 10 (6) देखिये]

विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के लिये अनुज्ञाप्ति

- (1) अनुज्ञाप्ति क्रमांक
- (2) कालावधि जिसके लिये विधिमान्य है
- (3) अनुज्ञाप्तिधारी का पूरा नाम तथा पता
- (4) वह स्थान या वे स्थान जहाँ फुटकर विक्रय किया जाना अनुशास्त है।
- (5) उस विनिर्दिष्ट वन उपज के नाम जिसके लिये अनुज्ञाप्ति फुटकर विक्रय हेतु मंजूर की गई है।
- (6) प्रत्येक उस विनिर्दिष्ट वन उपज की मात्रा जिसका वर्ष के दौरान फुटकर विक्रय के लिए व्यापार किया जा सकेगा।

नोट- उपरोक्त वर्णित अधिनियम और इस लायसेन्स (अनुज्ञाप्ति) के नियमों के किसी उपबन्धों में से किसी उपबन्ध का भंग (breach) होने पर यह अनुज्ञाप्ति रद्द किये जाने के दायित्वाधीन (Liable) होगी।

यह मेरे हाथ तथा सील द्वारा
जारी किया गया

Seal (मुद्रा)

राजपत्रित सहायक/डिवीजन फारेस्ट आफीसर
..... डिवीजन

[म. प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 1-11-1969 (पृष्ठ 2382-2410) पर प्रकाशित]